राजस्थान सरकार
निदेशालय,समेकित बाल विकास सेवाएँ
2,जल पथ, गांधी नगर, जयपुर

कमांक:एफ3(91)पो/विविध/आईसीडीएस/2019/37609-37946 जयपुर,दिनांक: 10/04/2020

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
समस्त।

विषयः कोरोना वायरस (COVID-19) से उत्पन्न आसन्न संकट के दौरान पूरक पोषाहार सेवा के सम्बन्ध में

संदर्भः– विभागीय समसख्यक आदेश कमांक 34616 दिनांक 20.03.2020 35592–929 दिनांक 01.04.2020 के कम में

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम– 2013 के प्रावधानों की पालना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से आंगनबाडी केन्द्रों पर पंजीकृत समस्त इच्छुक लाभार्थियों को वर्ष में तीन सौ दिवस पूरक पोषाहार उपलब्ध कराए जाने की सुनिश्चितता हेतु कोरोना वायरस के आसन्न संकट को देखते हुए समस्त प्रकार के लाभार्थियों को टेक होम राशन उपलब्ध करवाने हेतु निम्नानुसार साबुत खाद्य सामग्री दिए जाने के लिए निर्देशित किया गया है–

पोषाहार सामग्री THR (For 25 Days inA Month)				
क्र. सं.	सामग्री	गर्भवती व धात्री महिलाएं तथा 11-14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाएं	6 माह से 6 वर्ष के बच्चे	6 माह से 6 वर्ष के तक के अति कम वजन वाले बच्चे
		मात्रा (ग्राम में)	मात्रा (ग्राम में)	मात्रा (ग्राम में)
1.	गेहूं या दलियां	3000	2000	3000
2.	चना, मूंग, मोठ या मसूर दाल(ग्रेड–ए)	1000	1000	2000
योग		4000	3000	5000

इसमें दाल में वर्तमान में चना दाल को प्राथमिकता दें। (चना दाल ग्रेड–ए)

www.rajteachers.com

Phone No. : 0141-2227811 (0) | e-mail : secretary.wcd@rajasthan.gov.in
Website : www.wcd.rajasthan.gov.in

वर्तमान में नैफेड द्वारा दाल तथा भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा गेहूँ की आपूर्ति में संभावित विलम्ब को देखते हुए उक्त सामग्री की आपूर्ति के लिए केवल अप्रेल माह के लिए पूर्व से आपूर्ति कर रहे स्वयं सहायता समूह से लिए जाने की अनुमति दी जाती है। जिन आंगनबाडी केन्द्रों पर अप्रेल माह में अभी तक पोषाहार वितरण नहीं किया जा सका है वहां अप्रेल माह की सम्पूर्ण अवधि (25 दिवस) के लिए एक मुश्त पोषाहार आवंटित किया जाना है, एवं जिन आंगनबाडी केन्द्रों पर अप्रेल माह के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह के लिए पूरक पोषाहार का वितरण कर दिया गया है उन आंगनबाडी केन्द्रों पर अप्रेल माह की शेष अवधि 25 दिवस के अनुपात में पूरक पोषाहार का वितरण किया जाये। अर्थात समस्त लाभार्थियों को माह में 25 दिवस का पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें। स्वयं सहायता समूह उक्त कच्ची सामग्री स्थानीय बाजार से कय करेंगे । कच्ची खाद्य सामग्री जितने दिनों के लिए आपूर्ति की गई है का स्वयं सहायता समूहों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणीवार प्रति लाभान्वित प्रति दिवस की दरों में से 10 प्रतिशत राशि कम करते हुए भुगतान किया जायेगा। पोषाहार सामग्री चूँकि प्रसंस्कृत व मिश्रित रूप में न दी जाकर साबुत रूप में दी जा रही है, अतः 10 प्रतिशत की कमी की जा रही है।

लाभार्थियों को गृह–सम्पर्क के दौरान पोषाहार वितरण करते हुए पंजिका में लाभार्थियों के हस्ताक्षर एवं मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करवाए जाए। उनकी सहमति से आधार नम्बर भी अंकित करवाए जाए। वितरण दिवस में समस्त पैकिटों के वितरण पश्चात उक्त सूची कोव्हाटस–एप पर कार्यकर्ता द्वारा अपलोड किया जावे। महिला पर्यवेक्षक द्वारा समस्त लाभार्थियों के मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क कर वितरण की सुनिश्चिता की जावें। जिसका रेण्डम आधार पर परियोजना अधिकारियो द्वारा भी सत्यापन किया जावे। इस वितरण के समय इसकी सूचना आवश्यक रूप से समिति के सदस्यों को दी जावे तथा सरपच एवं वार्ड पंच को भी सूचित किया जावे। इसमें विभागीय अधिकारी भी रोटेशन बनाकर मोनिटरिंग सुनिश्चित करेगे

इस दौरान आयुक्त, मिड डे मील द्वारा विद्यालयों में उपलब्ध गेहूँ के ही उपयोग हेतु दिनांक 30.03.2020 को पत्र जारी किया जा चुका है। इसमें उपयोग हेतु जिला कलक्टर को सक्षम घोषित किया गया है। वर्तमान में लगभग 37,400 आँगनबाड़ी केंद्र विद्यालयों से संबंधित हैं, उनमें उपलब्ध खाद्यान्न गेहूँ के उपयोग हेतु शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 6.04.2020 को पत्र जारी किया गया है, (प्रति संलग्न) इसमें उन्होंने जिला कलक्टर को अधिकृत मानते हुए आँगनबाडी केंद्र से वितरित होने वाले पोषाहार के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्मिकों (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका) द्वारा विद्यालय से खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण अनुमत किया है, जिसमें सम्बन्धित जिला कलक्टर से समन्वय स्थापित कर परिस्थितियों के अनुरूप खाद्यान्न का उठाव किया जा सकता है। जिसके लिए जिला कलक्टर को भी इस हेतु पत्र भेजा जा चुका है। (प्रति संलग्न) इसके लिए उपनिदेशक समस्त परियोजना अधिकारियो से मांग लेकर जिला कलक्टर से अनुमोदन करा सकते हैं। मिड–डे मील योजना से प्राप्त गेहूं का उपयोग

www.rajteachers.com

Phone No. : 0141-2227811 (O) | e-mail : secretary.wcd@rajasthan.gov.in

Website : www.wcd.rajasthan.gov.in

आंगनबाडी मातृ – बाल विकास समिति द्वारा आगामी माहों में किया जायेगा। इस गेहूं का लेखा संधारण निम्नानुसार परियोजना स्तर पर किया जाये–

क.सं	आंगनबाडी केन्द्र का नाम	सम्बन्धित विद्यालय का नाम जहां से गेहूं प्राप्त किया गया है।	प्राप्त गेहूं की मात्रा (किलोग्राम में)	उपयोग किये गये गेहूं की मात्रा (किलोग्राम में)	गेहूं की शेष मात्रा (किलोग्राम में)
1	2	3	4	5	6

निदेशक,
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर ।

कमांक:एफ3(91)पो/विविध/आईसीडीएस/2019/37947-38000 जयपुर,दिनांक 10/04/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, आयुक्त मिड–डे–मिल, राजस्थान, जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर,समस्त ।
6. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय ।
7. एनालिस्ट कम प्रोगामर ,मुख्यालय को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड हेतु
8. रक्षित पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक(पो.)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

www.rajteachers.com

Phone No. : 0141-2227811 (O) | e-mail : secretary.wcd@rajasthan.gov.in

Website : www.wcd.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांकः– SPL

दिनांकः– 06-04-2020

शासन सचिव,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः–महामारी कोरोना वायरस(COVID –19) के संक्रमण को देखते हुये लॉक डाउन अवधि में मिड डे मील योजनान्तर्गत शेष खाद्यान (गेहूं /चांवल) का समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत पूरक पोषाहार की आपूर्ति एवं वितरण हेतु उपयोग करने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– प.4 (1) (309) पोषा /गेहूं /आईसीडीएस /2013–14 /2 दिनांक 04.04.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र द्वारा महामारी कोरोना वायरस (COVID–19) के संक्रमण को देखते हुये लॉक डाउन अवधि में मिड डे मील योजनान्तर्गत शेष खाद्याान्न को राजकीय विद्यालयों के पर्यवेक्षण के अधीन संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों (समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत) में पूरक पोषाहार की आपूर्ति एवं वितरण हेतु उपयोग में लेने हेतु उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है। कोरोना वायरस (COVID–19) के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में विभागीय पत्र दिनांक 30.03.2020 के अनुसार विद्यालयों में उपलब्ध शेष रहे खाद्यान्न के यथोचित उपयोग हेतु सम्बन्धित जिला कलक्टर अधिकृत है।

कोरोना वायरस के संक्रमण की विभीषिका को देखते हुये जिलों में प्रशासन द्वारा संक्रमण के नियन्त्रण हेतु कर्फ्यू एवं क्षेत्रवार विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये है। ऐसी परिस्थिति में सम्बन्धित जिला कलक्टर से समन्वय स्थापित कर महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्मिकों (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका) द्वारा विद्यालय से खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण स्वयं अपने स्तर पर किया जाना ही सम्भव है। मिड डे मील कार्यक्रम के खाद्यान्न

www.rajteachers.com

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

के यथोचित उपयोग हेतु जिला कलक्टर अधिकृत है । अतः सम्बन्धित जिला कलक्टर से समन्वय स्थापित कर परिस्थितियों के अनुरूप खाद्यान्न का उठाव किया जा सकता है।

अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(अभिषेक भगोतिया)
आयुक्त
मिड डे मील

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com